

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:-एफ 33(1) खा.वि/प्रोक्यो/आरएमएस/2025-26

जयपुर हस्ताक्षरित दिनांक

संशोधित दिशा-निर्देश

रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ क्रय हेतु जारी विभागीय समसंख्यक दिशा-निर्देश दिनांक 31.12.2024 में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं :-

1. बजट 2025-26 की अनुपालना में राजस्थान कृषक समर्थन योजनान्तर्गत आरएमएस 2025-26 के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद पर बोनस राशि रूपए 125/- प्रति क्विंटल को बढ़ाकर रूपए 150/- प्रति क्विंटल किया जाता है। इस प्रकार खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवा कर क्रय एजेंसीज के माध्यम से गेहूँ विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानो को उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में कुल 2575/-रूपए प्रति क्विंटल की दर से उनकी उपज का मूल्य प्राप्त होगा।
2. प्रदेश की मंडियों में हो रही गेहूँ की आवक के दृष्टिगत राज्य में आरएमएस 2025-26 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य कोटा संभाग में दिनांक 01 मार्च, 2025 से 30 जून, 2025 तक व शेष संभागों में दिनांक 10 मार्च, 2025 से 30 जून, 2025 तक किया जावेगा।

शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

Sd/-
(सुबीर कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि/वित्त/राजस्व विभाग, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/महानिरीक्षक पुलिस, राज0।
7. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, राज0।
8. प्रबंध निदेशक, राजफैड/तिलम संघ, राज0, जयपुर।
9. निदेशक, कृषि विपणन विभाग/बोर्ड, राज0, जयपुर।
10. निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, राजस्थान, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, राज0, जयपुर।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।
14. निदेशक, NIC, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
15. जनसंपर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. राज्य प्रमुख, नाफेड, जयपुर।
17. शाखा प्रबंधक, NCCF, जयपुर।
18. समस्त जिला रसद अधिकारी, राज0।
19. रक्षा पत्रावली।

